

16.11.21

शासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प ग्राम पंचायत, जामपुरा

Form No-111

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम रायसिंहनगर

बिहारी लाल बनाम

सरकार

किरग मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 378 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौ इस हुक्म की तामील में जारी किए
16.11.2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार R.S.N.R रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/903 दिनांक 16.11.21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जामपुरा में प्रार्थी के नाम चक जामपुरा वारसी जमाबंदी सम्बत 2073-76 के खाता सं 63 में</p> <p>बिकारी S/O शेरराफ</p> <p>के स्थान पर</p> <p>बिकारी लाल S/O शेरराफ</p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार R.S.N.R रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक जामपुरा वारसी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत 2073-76 के खाता सं 63 में</p> <p>बिकारी S/O शेरराफ</p> <p>के स्थान पर</p> <p>बिकारी लाल S/O शेरराफ</p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

